असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

Notice for Extraordinary

General Meeting

23 दिसंबर, 2013, सोमवार, पूर्वाह्न 10.00 बजे

Monday, 23rd December 2013 at 10.00 A.M.

AT सभा स्थल

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड़,
कोलकाता- 700027

Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road,
Kolkata – 700027

Certified to be true copy

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA

कंपनी सचिव / Company Secretary

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
Share Department & Investor Grievance Cell:
11, हेमंत बसु सरणी, प्रधान कार्यलय : चतुर्थ तल, कोलकाता-700001.
11, Hemanta Basu Sarani, Head Office, 4th Floor, Kolkata – 700001.

वेबसाइट / Website | **www.unitedbankofindia.com**

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

सूचना / Notice.....1 & 7

टिप्पणिया / Notes.....3 & 8

व्याख्यात्मक विवरण / Explanatory Statement.....4 & 9

प्रॉक्सीफार्म / Form of Proxy12 & 13

उपस्थिति स्लिप और एंट्री पास / Attendance Slip & Entry Pass.....14 & 15

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of United Bank of India will be held on **Monday, 23rd December 2013 at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Kolkata – 700027** to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Clause 20 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Clause 23 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, Regulation 4A of the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 and subject to other applicable provisions of the Acts, Scheme, Agreement and Regulations as mentioned herein above and subject to other Rules/ Notifications/ Circulars/regulations/guidelines, if any, prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, whether in India or abroad, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consent, permissions and sanctions as might be required and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended up to date (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 18,00,41,152 (Eighteen Crore Forty One Thousand One Hundred Fifty Two) equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of ₹38.88 per share including premium of ₹28.88 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹700 Crore on preferential basis to Government of India."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date for determination of the Issue Price is 22nd November 2013."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal including pricing as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities & Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the Bank's shares are listed or such other appropriate authorities at the time of according their approvals, consents, permissions, and sanctions to issue, allotment, and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be offered and allotted on preferential basis in terms of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend) with the existing equity shares of the Bank and be listed on stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed".

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairperson and Managing Director or Executive Director/s or such other officer/s of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution and the delegation of all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairperson and Managing Director or Executive Director/s or such other officer/s of the Bank already approved by the Board in the matter of this preferential allotment be and is hereby ratified."

By order of the Board of Directors

Sd/-

Place: Kolkata
Date: 22nd November 2013

Bikramjit Shom
Company Secretary

NOTES:

1. The Explanatory Statement concerning the agenda item is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its **Share Department & Investor Grievance Cell**, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., **on or before the closing hour of the Bank on Wednesday, December 18th 2013**. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended from time to time.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at its **Share Department & Investor Grievance Cell** not less than **FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., **on or before the closing hour of the Bank on Wednesday, December 18th 2013**. The proxy form, if any, executed by such authorized representative will be effective provided the same is deposited with the Bank along with the above documents **on or before the closing hour of the Bank on December 18th 2013** at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of United Bank of India (Shares and Meetings) Regulation 2010, as amended from time to time.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended up to date.

5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
United Bank of India
Head Office, 5th floor
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001.

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:
M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.
Unit : United Bank of India
59C, Chowringhee Road, 3rd floor
Kolkata – 700020.

Explanatory Statement setting out the material facts:

a) The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2013 is ₹374.70 Crore.

b) Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹308.13 Crore, which constitutes 82.232% of the total paid-up capital of the Bank. The Capital Fund to Risk Weighted Assets as on September 30, 2013 as per BASEL – III norms is as under.

Particulars (As on 30.09.13)	Amount ₹ in Crores	% of Capital Funds to Risk Weighted Asset
Risk Weighted Assets	70695.44	
Tier-I Capital	4370.03	6.18%
Tier-II Capital	2329.47	3.30%
Total Capital	6699.50	9.48%

c) The Bank has been growing at an impressive pace for the last three years with an average growth rate of about 15% to 20% and is likely to improve upon the same in the next three years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board and to maintain comfortable capital adequacy position as prescribed under BASEL – III norms, the Bank proposes to raise funds by way of a Preferential Allotment of up to 18,00,41,152 equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹28.88 per share as determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations as amended from time to time, considering Friday, November 22nd 2013 as the Relevant Date for the purpose, aggregating up to ₹700 crore (Seven Hundred Crore Only) (rounded off) to the Government of India on preferential basis.

d) The present resolution is proposed to be passed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.

e) The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

i) **Objects of the Preferential Issue**

In order to achieve a sustainable growth in its assets and maintaining adequate Tier – I CRAR under BASEL - III, need is felt for augmenting capital as the plough back of profits alone may not be adequate to meet the required capital, enough to support the envisaged growth in assets.

The Govt. of India proposes to infuse up to ₹ 700.00 crore by way of preferential allotment of Equity in favour of the Govt. of India by way of preferential allotment. Subsequent to the preferential allotment of Equity shares, the Bank will be in a better position to maintain 6.50% Tier I CRAR as on 31st March 2014 and thereafter. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) **As the issue is proposed to the Government of India, the major Shareholder & Promoter of the Bank there would not be any change in control.** The Issue Price has been determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The issue price so determined is ₹38.88 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is November 22nd, 2013.

c) **Shareholding Pattern before and after the Issue**

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 15th November 2013)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding**				
1.	**Promoter/s**				
	Government of India	308128640	82.23%	488169792	88.00%
	Foreign Promoters	----	----	----	----
2.	**Persons acting in concert**				
	Sub Total	**308128640**	**82.23%**	**488169792**	**88.00%**
B.	**Non –Promoter Holding**				
3	**Institutional Investors**				
a	Mutual Funds and UTI	8101338	2.16%	8101338	1.46%
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions/Non-government Institutions)	24105118	6.43%	24105118	4.35%
c	FIIs	681847	0.19%	681847	0.12%
d	Insurance Companies	----	----	----	----
	Sub Total	**32888303**	**8.78%**	**32888303**	**5.93%**
4	**Others**				
a	Private Corporate Bodies	10930108	2.92%	10930108	1.97%
b	Indian Public	19638771	5.24%	19638771	3.54%
c	NRIs/OCBs	680436	0.18%	680436	0.12%
d	Any Others	2440681	0.65%	2440681	0.44%
	Sub Total	**33689996**	**8.99%**	**33689996**	**6.07%**
	Grand Total	**374706939**	**100%**	**554748091**	**100%**

d. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e. The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares.

f. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India and Life Insurance Corporation of India would be as under:

	Pre- issue		Post- issue	
President of India activity on behalf of Govt. of India	**Number of Shares**	**Percentage**	**Number of Shares**	**Percentage**
	308128640	82.232%	488169792	87.998%

g. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

h. Pursuant to Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the new equity shares to be issued to the President of India up to 20% of the Share Capital shall be locked-in for a period of 3 years from the date of allotment and the balance for 1year from the date of allotment.

i. The Certificate issued by M/s. Dinesh Mehta & Co., Chartered Accountants, the Statutory Central Auditor(s) of the Bank certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

j. All the shares held by the Govt. of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

k. The Preferential Allotment would result in increase in the Government's holding in the Bank beyond 5% and consequently would have attracted the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares & Takeover) Regulations 2011 for making open offer. As advised by the Ministry of Finance, the Bank has made necessary application to SEBI seeking exemption from the necessity of making an open offer under Regulation 11(1) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations 2011 vide its letter dated November 6th 2013.

 Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares and is other than on pro-rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed.

 In view of the above, approval of the Shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, as stated above, in terms of the provisions of the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations, as amended read with Regulation 4A of the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 to pass the above Resolution as a Special Resolution.

l. Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

m. None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution.

By order of the Board
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Kolkata
Date:22nd November 2013

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 23 दिसंबर, 2013, सोमवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे, भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेड्रे रोड, कोलकाता–700027 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक का आयोजन किया जाएगा ।

विशेष संकल्पों के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना या उपयुक्त समझे जाने पर आशोधन सहित या आशोधन के बिना इन्हें पारित करना

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 3 (2बी), (सी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान), योजना 1970 के खण्ड 20, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 23, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें), विनियम 2010 के विनियम 4 (ए), के प्रावधानों के अनुसरण में और भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सम्बंधित अन्य किसी संबद्ध प्राधिकारी, भारत में या विदेश के द्वारा समय – समय पर निर्धारित अन्यनियम/अधिसूचना/परिपत्र/मार्गनिर्देश यदि कोई है तो के अनुसार लागू सीमा तक और बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन सहमति, अनुमति और स्वीकृति जो भी अपेक्षित हो, के अध्याधीन और तत्संबधी शर्तों एवं निबंधनों तथा आशोधनों, जो ऐसी स्वीकृति देने के लिए उनके द्वारा निर्धारित किए गए हो और जिस पर बोर्ड के निदेशक मंडल की सहमति हो, के अध्यधीन और आज की तिथि तक (सेबी आई सी डी आर विनियम), यथा संशोधित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाए), विनियम 2009 के अध्याधीन और भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय – समय पर निर्धारित विनियम के अध्याधीन शेयरधारकों की सहमति से बैंक के निदेशक मंडल जिसे इसके बाद बोर्ड कहा गया है, इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित/गठित की जाने वाली समिति शामिल है, को एतदद्वारा 18,0041,152 (अठारह करोड इकतालीस हजार एक सौ बावन) शेयर को सृजन, ऑफर और इश्यू और आवंटन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है । सेवी आईसीडीआर के विनियमन 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर 10/–(दस) रूपए मात्र वाले ईक्विटी शेयर पर रू 28.88 के प्रीमियम पर, जिसका नकद मूल्य रू.38.88 प्रति शेयर, जिसकी कुल राशि 700 करोड तक है, अधिमान आधार पर भारत सरकार की ओर से जारी करने और आवंटित की जाती है ।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक तारिख 22 नवंबर, 2013 होगी ।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को मूल्य निर्धारण सहित प्रस्ताव में कोई आशोधन, जैसा भी अपेक्षित है या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, या अन्य प्राधिकरणों द्वारा शेयरों के निर्गम और सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति , देते समय किए गए आशोधन, जिनको बोर्ड की सहमति प्राप्त हो, को स्वीकार करने का प्राधिकार या अधिकार है ।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के संबंध मे, अधिमान आधार पर प्रस्तावित आवंटित किए जाने वाले इक्यिटी शेयर डीमैट रूप में जारी किए जाऐंगे जो सेबी आई सी डी आर विनियमों के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षित लॉक–इन शर्त के अध्याधीन होंगे और ये हर दृष्टि (लाभांश सहित), से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य होंगे और स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, त लिस्टिंग किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो उसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान कर दी है ।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए अपनी समस्त या किसी एक शक्ति को और इस अधिमान आवंटन, जो एततद्वारा प्रमाणित है, के संबंध में बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित सभी या किसी एक शक्ति को बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक/निदेशकों या अन्य अधिकारियों,जैसा भी उचित समझा जाए को प्रत्यायोजित करने का भी प्राधिकार होगा ।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह
कंपनी संचिव
बिक्रमजीत सोम

स्थानः कोलकाता
तारीखः 22 नवंबर, 2013

टिप्पणियां:

1. कार्यसूची मद से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रुप में सलंग्न है।

2. **प्रॉक्सि की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने और वोट देने का पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का भी पात्र है, और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना जरुरी नहीं है। प्रॉक्सि फार्म केवल उसी स्थिति में मान्य होगा जब वह बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत निपटान कक्ष में, बैठक से चार दिन पहले अर्थात 18 दिसंबर, 2013, बुधवार के दिन कार्य–दिवस के अंतिम घंटे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाएगा। कृपया नोट करें कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2010 के प्रावधानों और समय–समय पर इनमें किए गए संशोधनों के अनुसार, बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को प्रॉक्सि के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी या नियमित निकाय, जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक में तब तक न तो भाग ले सकता है और न ही वोट दे सकता है, जब तक कि जिस बैठक में उन्हें विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष प्रमाणित उक्त निर्णय की मूल प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत निपटान कक्ष में बैठक से चार दिन पहले अर्थात18 दिसंबर, 2013, बुधवार के दिन कार्य–दिवस के अंतिम घंटे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाए । प्रॉक्सि फार्म यदि कोई हो, जो उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित किया गया है, तभी मान्य होगा जब इसे उपरोक्त दस्तावेजों के साथ उपर दिए पते पर 18 दिसंबर, 2013, बुधवार के दिन कार्य–दिवस के अंतिम घंटे तक या उससे पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

कृपया नोट करें कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2010 के प्रावधानों और समय–समय पर इनमें किये गए आशोधनों के अनुसार, बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

4. **उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पास**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पास संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रॉक्सिधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके इसे भरें और इसे बैठक स्थल पर जमा कर दें। शेयरधारक के प्रॉक्सि / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति एवं प्रवेश पास पर "प्रॉक्सि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो लिखना जरुरी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2009 और आज की तिथि तक इनमें किए गए आशोधनों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण और महत्वपूर्ण प्रकटन इस सूचना के साथ संलग्न है।

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयरों का अंतरण करने और शिकायतों का निपटारा करने के लिए बैंक या रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण एजेंट, मै. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को नीचे दिए पते पर लिखे।

कंपनी सचिव
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय, 5 वां तल
11, हेमन्त बसु सरणी
कोलकाता – 700001

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मै. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.
यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
59–सी, चौरंघी रोड, तीसरा तल
कोलकाता–700020

व्याख्यात्मक विवरण के महत्वपूर्ण तथ्य:

क. बैंकिंग और इससे जुड़े कार्यकलापों में बैंक कारोवार करता है। इस समय बैंक की प्राधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रूपए हैं। 31 मार्च 2013 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 374.70 करोड़ रूपए थी।

ख. इस समय हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता 308.13 करोड़ है, जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 82.232 प्रतिशत है। बेसल–III मानदंड के अनुसार सितंबर, 2013 को जोखिम भारित परिसंपत्ति से पूंजी निधि का प्रतिशत निम्नानुसार है:

विवरण (30.09.2013 को)	राशि ₹ करोड़ में	जोखिम भारित परिसंपत्ति से पूंजी निधियों का प्रतिशत
जोखिम भारित परिसंपत्तियां	70695.44	
श्रेणी–I पूंजी	4370.03	6.18%
श्रेणी–II पूंजी	2329.47	3.30%
कुल पूंजी	6699.50	9.48%

ग. पिछले तीन साल बैंक लगभग 15% से 20% प्रतिवर्ष की औसत विकास दर के साथ प्रभावशाली गति से प्रगति कर रहा है और आगामी वर्षों में इस वृद्धि दर में और सुधार होने की संभावना है। दीर्घावधि संसाधन द्वारा व्यवसाय बढ़ाने के लिए निधि जुटाने, संसाधन और सामान्य ऋण द्वारा कारोवार का विस्तार करने में, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, सहायता करने के लिए पूंजी बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने, बेसल–2 के अनुसार निर्धारित पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक इस प्रयोजन हेतु संगत तारीख के रूप में 22 नवंबर, 2013, शुक्रवार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को सेवी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों अध्याय–VII के अनुसरण में यथानिर्धारित प्रति शेयर ₹ 28.88 के प्रीमियम सहित प्रति शेयर 10/– रूपए वाली 700(सात सौ) करोड मात्र के अधिमान्य आवंटन द्वारा *18,00,41,152 तक की पूंजी जुटाने का प्रस्ताव करता है ।*

घ. बैंक के निदेशक मंडल को उपरोक्त अधिमान्य निर्गम और आवंटन करने में सामर्थ बनाने के लिए मौजूदा संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

ड. सेवी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम के निम्नलिखित विवरण का प्रकटन किया जाता है:

(1) अधिमान्य निर्गम के उद्देश्य:

बैंक की परिसंपत्तियों में दीर्घ–कालिक वृद्धि हासिल करने और बेसल–III के तहत पर्याप्त श्रेणी–1 सीआरएआर को बनाए रखने के लिए पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्यों कि लाभ का पुनर्निवेश अपेक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करने और परिकल्पित परिसंपत्ति की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होगा ।

अधिमान्य आवंटन द्वारा भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के अधिमान्य आवंटन द्वारा 700.00 करोड़ रूपए तक का निवेश का प्रस्ताव करती है। इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के बाद बैंक 31 मार्च, 2014 को और उसके बाद कम से कम 6.50 प्रतिशत की श्रेणी–1 सीआरएआर बनाए रखने की बेहत्तर स्थिति में होगा। इस प्रकार जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल पूंजी पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक के सामान्य कारोवार का वित्तपोषण करने में किया जाएगा ।

ख. **चूंकि यह निर्गम भारत सरकार को किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जो बैंक का प्रमुख शेयर धारक और प्रवर्तक है, तथापि इससे नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा ।** सेवी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 और आज की तिथि तक इसमें किए गए संशोधन के अनुसरण में निर्गम का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इस विधि से निर्धारित निर्गम मूल्य रू.38.88 है और निर्गम मूल्य को निर्धारित करने की सुसंगत तारीख 22 नवंबर, 2013 है।

ग. **निर्गम से पहले और बाद में शेयरधारिता का स्वरूप**

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (15 नवंबर, 2013 को)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरो की संख्या	शेयर धारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
क.	**प्रमोटरो की शेयरधारिता**				
1.	**प्रमोटर्स**				
	भारत सरकार	308128640	82.23%	488169792	88.00%
	विदेशी प्रमोटर्स				
2.	**एवजी व्यक्ति**				
	उप जोड़	**308128640**	**82.23%**	**488169792**	**88.00%**
ख.	**गैर–प्रमोटर्स शेयरधारिता**				
3	**संस्थागत निवेशक**				
क.	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	8101338	2.16%	2.16%	1.46%
ख.	बैंक वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां (केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थान/गैर– सरकारी संस्थान)	24105118	6.43%	24105118	4.35%
ग.	एफ.आई.आई	681847	0.19%	681847	0.12%
घ.	बीमा कंपनियां				
	उप– जोड	**32888303**	**8.78%**	**32888303**	**5.93%**
4	**अन्य**				
क.	निजी कॉर्पोरेट निकाय	10930108	2.92%	10930108	1.97%
ख.	भारतीय जनता	19638771	5.24%	19638771	3.54%
ग.	एन.आर.आई/ओ.सी.बी	680436	0.18%	680436	0.12%
घ.	कोई अन्य	2440681	0.65%	2440681	0.44%
	उप– जोड	**33689996**	**8.99%**	**33689996**	**6.07%**
	सकल जोड़	**374706939**	**100.00%**	**554748091**	**100%**

घ. बैंक सेवी आईसीडीआर विनियमों में उल्लिखित समय–सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा।

ङ. भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व अधिमान्य शेयरधारिता सुसंगत तारीख से लेकर इक्विटी–शेयरों के आवंटन की तारीख तक छह माह तक अवरूद्ध रहेगी ।

च. निर्गम से पहले और बाद में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा की शेयरधारिता निम्नानुसार रहेगी :

	निर्गम पूर्व		निर्गम पश्चात	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति की कार्रवाई	308128640	82.232%	488169792	87.998%

छ. बैंक के इक्विटी शेयरों को छह माह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार सेवी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 (3) और 78(5) के प्रावधनों और सेवी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 73(1), (एफ) एवं (जी) के तहत प्रकटन की शर्त इस पर लागू नहीं है ।

ज. सेवी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जारी किए जाने वाले शेयर पूंजी का 20% और आवंटित किए जाने वाले शेयर, शेयर–आवंटन की तारीख से तीन साल के लिए अवरूद्ध रहेंगे ।

झ. मेसर्स दीनेश मेहता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार जारी किए जा रहे इस निर्गम को असाधारण आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

ञ. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डी–मेट के रूप में हैं और बैंक ने स्टॉक–एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीकरण करार में यथा विनिर्दिष्ट इक्विटी–शेयरों के सतत सूचीयन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

ट. अधिमान्य आवंटन के परिणाम स्वरूप सरकार का बैंक में धारिता 5% बढ़ जाएगी और जिससे सेवी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन 2011 के अनुसार खुले ऑफर के प्रावधान के तहत होगा। वित्त मंत्रालय के सलाहनुसार बैंक ने अपने पत्र 6 नवंबर, 2013 के तहत सेवी विनियमन, 2012 (शेयरों का अर्जन और स्वीकृति) के विनियमन 11(1) के अनुसार खुले ऑफर हेतु सेवी से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ।

ठ. भारत में विभिन्न स्टॉक–एक्सचेंजों, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है कि जब और शेयरों को जारी करके बैंक की निगमित पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे शेयर अभिदान के लिए पहले बैंक के मौजूदा शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में ऑफर किए जाएंगे बशर्ते कि शेयरधारक आम बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अन्यथा निर्णय न लें। चूंकि पूर्णतः प्रदत इक्विटी शेयर आवंटित करने का प्रस्ताव है, इसलिए उपरोक्त संकल्प को पारित किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त के मद्देनजर उक्त संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 2010 के विनियमन 4ए के साथ संशोधित और पठित सेवी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय – VII के प्रावधान के अनुसार सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है।

ड. आपके निवेशक विशेष संकल्प को पारित करने के लिए संस्तुति करते हैं।

ढ. किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध नहीं है और न ही इसमें उनका कोई निजी हित है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह
विक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

स्थानः कोलकाता
तारीखः 22 नवंबर, 2013

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We_____resident(s) of _____in the district of_____in the state of_____ being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint Shri/Smt._____resident of _____in the district of _____ in the state of _____or failing him / her, Shri/ Smt. _____resident of_____ in the district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of **United Bank of India** to be held on **Monday, 23rd December 2013 at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata - 700027** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013.

Please Affix Revenue Stamp

Signature of Proxy	Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors Grievance Cell, 4th floor, 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before the closing hour of the Bank on Wednesday, December 18th 2013.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

प्रॉक्सी फार्म(फार्म "बी")
(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर होना है)

पंजीकृत फोलियो नंबर (वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फॉर्म में नहीं है)
(यदि अमूर्त नहीं हो)
डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी
वैसे शेयरों के लिए जो डीमैट फॉर्म में है

मैं/हम बिवासी..... जिला राज्य..... युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्द्वारा श्री/श्रीमती.....निवासी.....जिला.....राज्य.....या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती.....निवासी.....जिला.....राज्य ——— को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिनांक 23 दिसंबर, 2013, सोमवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेड्रे रोड, अलीपुर, कोलकाता– 700027 एवं किसी स्थगन की स्थिति में, बैंक शेयर धारकों की होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे बदले वोट देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।

दिनांक..... 2013 को इस पर हस्ताक्षर किया।

रसीदी
टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर **पहले नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर**

नामः

पता

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और भरने के लिए अनुदेशः

1. **प्रॉक्सी का कोई साधन वैध नहीं होगा, जब तक कि**
 - क) एक व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा हस्ताक्षरित अथवा उसके अटार्नी द्वारा विधिवत लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो ,
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में पहले नामित किये गये शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा उसके अटार्नी द्वारा विधिवत लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो,
 - ग) निगमित निकाय के मामले में, प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा एक अटार्नी द्वारा विधिवत लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो। यह ध्यान दिया जाए कि यह बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किसी अधिकृत प्रतिनिधि/एक प्रॉक्सी नियुक्त करने की शक्ति, के रूप में उसे नियुक्त करने के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जाए।
2. प्रॉक्सी का एक लिखत पर्याप्त रूप से किसी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसका निशान वहां चिपकाया जाए और न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए।
3. **प्रॉक्सी एक साथ**
 - क) अटार्नी की शक्ति अथवा अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 - ख) एक नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी या प्राधिकारी की शक्ति की एक प्रति असाधारण आम बैठक के चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 18 दिसंबर, 2013, बुधवार को बैंक के कार्य समापन समय से पहले युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग तथा निवेशक शिकायत कक्ष, चौथा तल, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता – 700001 में जमा किया जाना चाहिए।
4. प्रॉक्सी का कोई लिखत तब तक मान्य नही होगा जब तक कि विधिवत मुहर न लगा हो और नियमन के प्रपत्र 'ख' में।
5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी का एक लिखत अटल और अंतिम होगा।
6. वैकल्पिक में दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी के एक लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. शेयरधारक जो प्रॉक्सी का एक लिखत निष्पादित किया है, वह इस तरह के लिखत संबंधित असाधारण आम बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे
8. कोई व्यक्ति विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी है ।

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Date: Monday, 23rd December, 2013.

Time: 10.00 a.m.

Place: **Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata – 700027.**

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures recorded with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

उपस्थिति पर्ची
(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए)

मैं एतदद्वारा बैंक के असाधारण समान्य बैठक में उपस्थिति दर्ज करता हूं।

तारीख : 23 दिसंबर, 2013 सोमवार

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थानः भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेड्रे रोड, अलीपुर कोलकाता– 700027

शेयरधारक/प्रॉक्सि/उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
रजिस्टर. फोलियो नंबर (डीमैट नहीं तो)		**डीपी आईडी और ग्राहक** आईडी (डीमैट हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

प्रवेश पत्र
(बैठक के दौरान रखा जा सकता है)

उपस्थित शेयरधारक / प्रतिनिधि / प्रॉक्सि के हस्ताक्षर			
रजिस्टर. फोलियो नंबर (डीमैट नहीं तो)		**डीपी आईडी और ग्राहक** आईडी (डीमैट हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारक/प्रॉक्सि अथवा शेयरधारकों के अधीकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर सहित, प्रवेश पत्र समेत बैंक स्थल पर उपस्थित हों। फिर भी, आवश्यक होने पर प्रवेश सत्यापन/जाँच के अध्याधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची की डुप्लिकेट प्रति बैंक में प्रवेश हेतु जारी नहीं की जाएगी।

KEPT INTENTIONALLY BLANK

KEPT INTENTIONALLY BLANK

BOOK-POST

If undelivered please return to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd..

Unit: United Bank of India

59C, Chowringhee Road, 3rd Floor

Kolkata – 700020.